

APPLIED FOR

प्रारम्भिक निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 की कंडिका 12(1) एवं विभागीय अधिसूचना संख्या 629 दिनांक 28-04-2019 के द्वारा किए गए प्रावधान के अंतर्गत में विद्यालय को मान्यता प्रदान करने के लिए समर्पित स्वधोषणा-सह-आवेदन प्रपत्र-1

11-19

क विद्यालय का ब्योरा	
1	विद्यालय का नाम ST. ARVINDO ACADEMY
2	विद्यालय का यूडायस कोड (12 अंक) 20140123301
3	मान्यता हेतु प्रस्तावित कक्षा.....I..... से कक्षा.....VIII..... CLASS I TO VIII
4	शैक्षिक सत्र जिससे मान्यता प्रस्तावित है 2019-20
5	जिला RANCHI
6	ब्लॉक का नाम ARGORA
7	ग्राम/ नगर RANCHI
8	पिन कोड 834002
9	तहसील ARGORA
10	फोन नं० एसटीडी कोड सहित / मोबाइल नं० 0651-2242615 MOB No - 8252799128
11	फैक्स नं० एसटीडी कोड सहित -
12	ई-मेल पता, यदि कोई हो ST.Arvindsoacademy337@gmail.com
13	निकटतम पुलिस थाना ARGORA

कोषागार में जमा किए गए राशि की विवरणी जो (मुख्य शीर्ष-0202 शिक्षा खेल कला एवं संस्कृति उप मुख्य शीर्ष 01 - सामान्य शिक्षा लघु शीर्ष 101- प्रारम्भिक शिक्षा) में बालन के माध्यम से जमा किया जाएगा :-

वर्ग 1 से 5 के लिए - रु० 12,500/- (बालान संख्या

वर्ग 1 से 8 के लिए - रु० 25,000/- (बालान संख्या 1902711385)
जो अप्रत्यक्षपणीय (Non Refundable) होगा ।

नोट :- बालान की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा ।

ख साधारण सूचना	
1	स्थापना का वर्ष - 2006
2	पहली बार विद्यालय खोलने की तारीख 18 NOV. 18 NOV.

Manager
St. Arvindo Academy
Argora, Ranchi

President
St. Arvindo Academy
Argora, Ranchi

Principal
St. Arvindo Academy
Argora, Ranchi

3	न्यास/सोसाइटी/प्रबंध समिति का नाम (जिसका पंजीकरण महाविद्यालय, निबंधन, झारखंड, संघी में पंजीकृत हो) की प्रति संलग्न करें।	ARVIND EDUCATION SOCIETY	Annexure -01
4	न्यास/सोसाइटी/प्रबंध समिति सजिस्ट्रीकृत है।	YES	
5	यह अवधि जिस तक न्यास/सोसाइटी/प्रबंध समिति सजिस्ट्रीकरण विधिमान्य है। (वाईलाज की प्रति संलग्न करें)	LIFE TIME	Annexure -II
6	(क) न्यास/सोसाइटी/प्रबंध समिति के प्रतिनिधि निर्वाचित अथवा मनोनित किये गये हैं तो निर्वाचन अथवा मनोनयन किन्हीं द्वारा एवं कब किया गया।	6 OCTOBER 2006	
7	(ख) यह अवधि जिस तक न्यास/सोसाइटी/प्रबंध समिति के गैर-स्वामित्व प्रकृति का कोई सबूत है, जो शपथ-पत्र पर सदस्यों के पतों सहित उनकी सूची द्वारा समर्पित हो। विद्यालय के प्रबंधक/अध्यक्ष/चेयरमैन का नाम और शासकीय पता।	YES	Annexure III
	नाम : MR. RAJKUMAR SAHU, MR. ANUJ KUMAR SAHU		
	पदनाम : SECRETARY, PRESIDENT		
	पता : ARBORA RANCHI, ARBORA RANCHI		
	फोन : 9431358508, 9431358509	काब्रालय 0651-2243615	
	ईमेल :	8252799128	

8	पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल आय और व्यय/अधिक्य/कमी				
	वर्ष	आय (₹00)	व्यय (₹00)	अधिक्य (₹00)	कमी (₹00)
1	2016-17	67,15,833	65,02,046.62	2,17,92.38	
2	2017-18	76,57,747	59,52,342.44	17,05,450.50	
3	2018-19	82,73,584.57	77,05,047.96	6,64,486.61	

शुल्क एवं अन्य प्रभार को दर : (शैक्षणिक सत्र 2019-20)

वर्ग	शिक्षण शुल्क	पजीयन शुल्क	नामांकन शुल्क	सुरक्षित अंश	वार्षिक प्रभार	विकास शुल्क	अन्य प्रभार	योग
पूर्व प्राथमिक								
I	1450		6000			2000		
II	1450		6000			2000		
III	1550		6000			2000		
IV	1550		6000			2000		
V	1550		8000			2000		
VI	1650		8000			2000		
VII	1650		8000			2000		
VIII	1750		8000			2000		

ग-विद्यालय का स्वरूप और क्षेत्र										
1	शिक्षा का माध्यम	ENGLISH								
2	विद्यालय की किस्म (प्रवेश और अंतिम कक्षाएँ उल्लेखित करें) यथा अधिनियम की धारा 2 (h) में वर्णित	PRIVATE, INDIAN AIDED SENIOR SECONDARY SCHOOL								
3	यदि विद्यालय सहायता प्राप्त है तो अधिकरण का नाम और सहायता का प्रतिशत	NA								
4	क्या विद्यालय मान्यता प्राप्त है	YES								
5	यदि हाँ तो प्राधिकार का नाम एवं मान्यता संख्यांक	CBSE, 3430277								
6	विद्यालय का अपना स्वयं का भवन है या वह किसी के भवन में कार्य कर रहा है	OWN BUILDING								
7	क्या विद्यालय के भवन या अन्य संरचनाओं या कीड़ा स्थलों को उपयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजन के लिए किया जा रहा है।	YES								
8	विद्यालय का कुल भूमि (रकबा एकड़ में, खाता एवं प्लॉट संख्या सहित) संबंधित संचालन सोसायटी/विद्यालय के नाम से Registered Sale Deed/Lease Deed जो भी लागू हो, से संबंधित निबंधन कार्यालय का प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र में संलग्न करना अनिवार्य है) नोट - प्राथमिक विद्यालय की स्थिति में <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>पानी की सुविधा</td><td>40-विद्यमान</td></tr><tr><td>प्राथमिक सैन</td><td>60-विद्यमान</td></tr></table> मध्य विद्यालय की स्थिति में <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>पानी की सुविधा</td><td>0.75 एकड़</td></tr><tr><td>प्राथमिक सैन</td><td>100 एकड़</td></tr></table>	पानी की सुविधा	40-विद्यमान	प्राथमिक सैन	60-विद्यमान	पानी की सुविधा	0.75 एकड़	प्राथमिक सैन	100 एकड़	रकबा एकड़ में - 1.94 खाता संख्या - 234 प्लॉट संख्या - 2760.8 2765
पानी की सुविधा	40-विद्यमान									
प्राथमिक सैन	60-विद्यमान									
पानी की सुविधा	0.75 एकड़									
प्राथमिक सैन	100 एकड़									
9	विद्यालय का निर्मित क्षेत्र	2856.06 Sqm.								

Annexure V

Annexure VI

Annexure VII

10. विद्यालय के नाम से 1,00,000/- (एक लाख) रु० का सावधि जमा (Fixed Deposit) रु० से रु० से सुरक्षा कोष के रूप में रखना अनिवार्य होगा तथा इसकी छाया प्रति सक्षम प्राधिकार के कार्यालय में सुरक्षा हेतु जमा करना होगा।

घ-नामांकन प्रास्थिति					
	कक्षा	वर्गों की संख्या	विद्यार्थियों की संख्या	कार्यरत शिक्षक की संख्या	छात्र-शिक्षक अनुपात
1	पूर्व-प्राथमिक	NA	NA		
2	1 से 5	1	185	5	37:1
3	6-8	1	163	11	

Annexure VIII

नोट - प्राथमिक विद्यालय के लिए -

- यदि 120 से कम छात्र हों तो 30 छात्र पर एक शिक्षक।
- यदि 121 से अधिक एवं 200 के मध्य हों तो कम से कम पाँच शिक्षक।
- 200 से अधिक छात्र संख्या होने पर छात्र शिक्षक अनुपात 40 से अधिक न हो।

मध्य विद्यालय के लिए -

- वर्ग 6 से 8 के लिए 35 छात्र पर एक शिक्षक।

इ-अवसंरचना के ब्यारे और स्वच्छता संबंधी दशाएँ

क्रमांक	कक्षा	संख्या	औसत आकार (लिंगाई x चौड़ाई)
1	कक्षा	19	26 X 25

2	कार्यालय कक्षा भंडार कक्षा प्राध्यापक कक्षा इत्यादि	2 1	
3	रसोईगर्हा-सह-भंडार कक्षा	2	
4	नहरदीवारी सी.सी.टी.सी	है/नहीं है है/नहीं है	यदि है तो कुल लम्बाई - 200 मीटर में । यदि है तो कुल कैमरो की संख्या 82
5	खेल का मैदान	है/नहीं है	यदि है तो मैदान का कुल क्षेत्रफल 3000 sqm
6	पेयजल और स्वच्छता में विद्यालय को कम से कम 3 स्टार की ग्रेडिंग हो ।		5 Star grading

व-अन्य प्रसुविधाएं

1.	क्या सभी प्रसुविधाएं तक बाधारहित पहुंच प्राप्त है	YES
2.	अध्यापन पठन सामग्री (सूची संलग्न करें)	ATTACHED
3.	खेल-कूद और क्रीड़ा उपकरण (सूची संलग्न करें)	ATTACHED
4.	पुस्तकालय में पुस्तकों की सुविधा पुस्तकें (पुस्तकों की संख्या) पत्रिकाएं/सामाचार-पत्र	8000 25
5.	1. पेयजल सुविधाओं की किस्म और संख्या 2. रनिंग वाटर की सुविधा 3. अग्निशमन का पर्याप्त सुविधा है (प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है) 4. तड़ित बालक की स्थिति	RUNNING, PURIFIED DRINKING WATER है/नहीं है है/नहीं है ।
6.	स्वाच्छता संबंधी दशार्थ	
	(1) W.C और मूत्रालयों की किस्म	INDIAN
	(2) बालकों के लिए पृथक मूत्रालयों शौच/गुहों की संख्या	30
	(3) बालिकाओं के लिए पृथक मूत्रालयों/शौचगृहों की संख्या	30

क. अध्यापन कर्मचारिवृद्ध - प्राथमिक और माध्यमिक दोनों में अध्यापन (प्रत्येक अध्यापक के व्योरे पृथक रूप से भरे जाएंगे) (अलग से भी विहित प्रपत्र में डेटा संलग्न किया जा सकता है)

क्रमांक	अध्यापक का नाम (1)	पद (2)	पिता/पति या पत्नी का नाम (3)	जन्म तिथि की तारीख (4)	शैक्षिक अर्हता (5)	प्रशिक्षणिक अर्हताएं (6)	शिक्षक भारतता परीक्षा (टेस्ट) (7)	अध्यापन संबंधी अनुभव (8)	संघी गई कक्षा (9)	नियुक्ति की तारीख (10)	अध्यापन संबंधी अनुभव (11)

नोट :-

1. आर.टी.ई के मानक के अनुरूप प्राथमिक कक्षा के लिए न्यूनतम इंटर व समतुल्य योग्यता के साथ दो वर्षीय डी.एल.ई.डी/समतुल्य प्रशिक्षित होना अनिवार्य होगा । Teacher Eligibility Test अनिवार्य है । शिक्षक अर्हता के संबंध में राज्य सरकार/एन.सी.टी.ई द्वारा समय समय पर निर्धारित मानक प्रभावी होंगे ।
2. कक्षा 06 से 08 के शिक्षकों के लिए न्यूनतम स्नातक व समतुल्य के साथ बी.एस व समतुल्य डिग्री प्रशिक्षित होना अनिवार्य होगा । Teacher Eligibility Test बर्तित होगा । शिक्षक अर्हता के संबंध में राज्य सरकार/एन.सी.टी.ई द्वारा समय समय पर निर्धारित मानक प्रभावी होंगे ।

ज- पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम	
1	प्रत्येक कक्षा में अपनाई गई पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम के ब्योरे (कक्षा 1 से 8 तक)
2	विद्यार्थियों के निरीक्षण की प्रकृति
3	क्या विद्यालय के विद्यार्थियों से कक्षा 6 तक कोई बोर्ड परीक्षा देने की अपेक्षा की जाती है ?
4	NCEERT अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित लर्निंग आउटकम के अनुसार पाठ्यक्रम संचालित करना अनिवार्य होगा एवं राज्य सरकार या उसके प्राधिकृत प्राधिकार द्वारा आयोजित की जानेवाली वर्ग 8 की परीक्षा में सम्मिलित होना आवश्यक होगा । समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक इत्यादि का पालन करना होगा ।

ATTACHED

CONTINUOUS ASSESSMENT - Annex
AS PER C-KSE BOARD INSTRUCTION

NO

(इ) प्रमाणित किया जाता है कि राज्य प्राधिकार द्वारा किसी अधिकारी द्वारा विद्यालय का भी निरीक्षण किया जाता जा सकता है।

(ख) प्रमाणित किया जाता है कि विद्यालय यह वचनबद्ध करता है कि वह ऐसे सभी प्रतिवेदन एवं नकारियां प्रस्तुत करेगा जो समय-समय पर जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा अपेक्षित हो और राज्य प्राधिकार या जिला शिक्षा अधीक्षक को ऐसे सभी अनुदेशों को अनुपालन करेगा, जो मान्यता की शर्तों के तहत अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए या विद्यालय के कॉकलप में कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जायेंगे।

(ट) प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिनियम के कार्यान्वयन से संबंधित विद्यालय के अभिलेख समय-समय पर जिला शिक्षा अधीक्षक या राज्य प्राधिकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे और विद्यालय ऐसी सभी सूचनाएँ प्रस्तुत करेगा, जो राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकार या शासन को यथास्थिति संसद/विधान सभा/पंचायत/नगरपालिका के प्रति उसकी बाध्यताओं का निर्वहन में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हों।

President

St. Arvindo Academy
Argora, Ranchi

Secretary

St. Arvindo Academy
Argora, Ranchi

80/-
अध्यक्ष/प्रबंधक/चेरमैन
प्रबंध समिति

दिनांक.....
स्थान Ranchi

(5)